DHO - 239
09/09/2020
Aris cell

कार्यालय उप–निदेशक,पूसा प्रक्षेत्र

डा0 राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय
पूसा (समस्तीपुर)–848125, बिहार

417 पेड़ो के सिर्फ झाकी की नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूसा प्रक्षेत्र के अन्तर्गत छवनियॉ ब्लॉक पर अवस्थित 417 (चार सौ सतरह) नन–शीशम पेड़ो के सिर्फ **झाकी** की नीलामी दिनांक 15.09.2020 को 11:00 बजे दिन में पूसा प्रक्षेत्र में की जायेगी । 417 नन–शीशम पेड़ो के सिर्फ **झाकी की कटाई एवं छटाई क्रयकताओ का स्वयं करनी होगी।** नीलामी में भाग लेने वालें क्रयकर्ताओं को मो0 25000/–(पचीस हजार रु0) मात्र नगद क्रय प्रपत्र डालने से पहले रोकड़पाल पूसा प्रक्षेत्र के पास जमानत के रुप में जमा करना होगा, जो असफल क्रयकर्ता को नीलामी समाप्ति के तुरंत वाद जमानत की राशि वापस कर दिया जायेगा। इस नीलामी में भाग लेने वाले क्रयकर्ता को प्रक्षेत्र कार्यालय में उपलब्ध क्रय प्रपत्र में अपना क्रय मूल्य भरकर स्वपता लिखकर लिफाफे में बन्द कर दिनांक 14.09.2020 को संध्या 05:00 बजे तक रोकड़पाल के पास जमा किया जा सकता है, जो दिनांक 15.09.2020 को 11:00 बजे दिन में गठित समिति एवं सभी क्रयकर्ताओं के समक्ष पूसा प्रक्षेत्र में खोली जायेगी। इस नीलामी की विस्तृत सूचना विश्वविद्यालय के बेवसाईट www.rpcau.ac.in पर देखा जा सकता है।

शर्तेः– 1. क्रय प्रपत्र पर उच्च क्रय मूल्य लिखकर देने वाले क्रयकर्ता को पेड़ो की झाकी का सम्पूर्ण मूल्य नीलामी समाप्ति के तुरंत वाद जमा करना होगा, अन्यथा जमानत की राशि जप्त कर ली जायेगी, साथ ही आपके द्वारा किसी भी प्रकार के आवेदन पर विचार नही किया जायेगा।

2. क्रयकर्ताओं को 417 नन–शीशम पेड़ो की झाकी की कटाई एवं छटाई स्वयं करनी होगी।

3. 417 नन–शीशम पेड़ो की झाकी को क्रय करने के वाद उसके सुरक्षा एवं अन्य /क्षति की जिम्मेवारी नीलामी लेने वालों की होगी।

इस नीलामी को किसी भी समय विना कारण बताये रद्द करने का अधिकार गठित समिति को सुरक्षित है।

ह0/–
उप–निदेशक
पूसा प्रक्षेत्र,पूसा

पत्रांक 228 /पी0एफ0 दिनांक 4 / 9 /2020

प्रतिलिपि श्री..को इस विक्री मे भाग लेने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

04.09.2020
उप–निदेशक
पूसा प्रक्षेत्र,पूसा

कार्बन प्रतिः– प्रभारी, पदाधिकारी एरिस सेल,रा0प्र0के0कृ0वि0,पूसा को अमरुद फलों की नीलामी के लिए विश्वविद्यालय बेवसाईट पर प्रकाशित करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।